



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 31 राँची, बुधवार

6 आश्विन, 1944 (श०)

28 सितम्बर, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 269-283 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2022

संख्या-09/नि०सु०(07)-29/2017- 3706--निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम-29) की धारा-25 की उप धारा (01) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-3839, दिनांक-16.09.2010 द्वारा झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियामक) नियमावली, 2010 अधिसूचित की गई है।

उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा-3 (1) एवं झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियामक) नियमावली-2010 के प्रावधानानुसार मामलों के निष्पादन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 3473, दिनांक-14.10.2020 को अवक्रमित करते हुए श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को पदेन नियंत्री पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समक्षा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2022

संख्या-13/पी०-2-104/2014- 3384/सी०,--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान Level-11 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री नाथू सिंह मीन, भा०पु०से० (2017)	दिनांक-18.12.2021
2	श्री के० विजय शंकर, भा०पु०से० (2018)	दिनांक-01.01.2022
3	श्री मुकेश कुमार लुनायत, भा०पु०से० (2018)	दिनांक-01.01.2022
4	श्री मनोज स्वर्गियारी, भा०पु०से० (2018)	दिनांक-01.01.2022

(2) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

(3) प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रवधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2022

संख्या-13/पी०-102/2021- 3366/सी०,--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान Level-11 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री अंजनी अंजन, भा०पु०से० (2016)	दिनांक-01.01.2020
2	श्री ऋषभ कुमार झा, भा०पु०से० (2016)	दिनांक-01.01.2020
3	श्री कुमार गौरव, भा०पु०से० (2017)	दिनांक-01.01.2021
4	श्री राकेश रंजन, भा०पु०से० (2017)	दिनांक-01.01.2021
5	श्री विनीत कुमार, भा०पु०से० (2017)	दिनांक-01.01.2021
6	श्रीमती रीष्मा रमेशन, भा०पु०से० (2017)	दिनांक-01.01.2021

(2) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

(3) प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रवधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2022

संख्या-13/पी०-2-103/2020- 3365/सी०,--श्री मो० अर्शी, भा०पु०से० (2012), समादेष्टा, झा०स०पु०-07, हजारीबाग को दिनांक-01.01.2021 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के **Level 12 of Pay Matrix** में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

(ii) उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी **FR-22** के प्रवधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2022

संख्या -4/नि०सं०-12-36/2017 का. 5338--श्री अजय कुमार जामुदा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० द्वारा उपभोग की गई अवकाश की अवधि दिनांक 03.10.2001 से 06.11.2001 तक तथा दिनांक 26.05.2005 से 26.08.2009 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

- 1 दिनांक 03.10.2001 से 06.11.2001 तक - असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत,
(35 दिन)
- 2 दिनांक 26.05.2005 से 25.11.2005 तक - उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत
(184 दिन)
- 3 दिनांक 26.11.2005 से 24.01.2006 तक - अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत,
(60 दिन)
- 4 दिनांक 25.01.2006 से 26.08.2009 तक - असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत
(1310 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 अगस्त, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-20/2014 का. 5530/स्व० विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० द्वारा उपभोग की गई अवकाश की अवधि दिनांक 28.08.2013 से 23.09.2015 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

- | | |
|--|---|
| क) दिनांक 28.08.2013 से 04.04.2014 तक
(220 दिन) | - उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत |
| ख) दिनांक 05.04.2014 से 02.08.2014 तक
(120 दिन) | - अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत, |
| ग) दिनांक 03.08.2014 से 23.09.2015 तक
(417 दिन) | - असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत, |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

2 सितम्बर, 2022

संख्या-03/नि०सं०-09-10/2021 का. 5573/ श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-704/03), संयुक्त सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 21.03.2022 से 30.03.2022 तक (कुल 10 दिनों का) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

2 सितम्बर, 2022

संख्या-1/विविध-818/2021 का०- 5590 श्री ए० मुथु कुमार, भा.प्र.से. (झा: 2009), प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12, 13,15, एवं 20 के तहत दिनांक- 21.07.2022 से 12.08.2022 तक कुल 23 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, तथा दिनांक-13.08.2022 से 15.08.2022 तक के राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाश के उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

08 सितम्बर, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-45/2017 का.- 5660/श्रीमती प्रतिमा कुमारी, झा०प्र०से०, (पंचम बैच, गृह जिला-गुमला) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु, लातेहार को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में दिनांक 01.07.2022 से 27.12.2022 तक कुल 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ROJLIYA LAKRA अन्य नाम BERO DEVI पिता KARLUS LAKRA, पति SAGAR MUNDA, शपथ पत्र सं० 194, दिनांक 23 अगस्त, 2022 के अनुसार ROJLIYA LAKRA के नाम से जानी जाऊँगी ।

ROJLIYA LAKRA एवं BERO DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- SAMLONG, NAMKUM,
BEL BAGAN,
P.O.& P.S. - NAMKUM,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUBHRA BANERJEE, पिता BIDHAN KUMAR BANERJEE, RAJANYA BANERJEE (अन्य नाम SOUMI MUKHERJEE) कि माता शपथ पत्र सं० 10591, दिनांक 3 सितम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री RAJANYA BANERJEE (जन्म तिथि - 22 सितम्बर, 2009) के नाम से जानी जायेगी ।

RAJANYA BANERJEE एवं SOUMI MUKHERJEE दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SUDAMDIH RIVER SIDE,
P.O.& P.S. - SUDAMDIH,
DIST.- DHANBAD,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PYARE NAUSHAD ALAM, SANDAL SULTANA (अन्य नाम SIMMI) का पिता शपथ पत्र सं० 6507, दिनांक 29 अगस्त, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी SANDAL SULTANA (जन्म तिथि 27 जून, 2010) के नाम से जानी जायेगी ।

SANDAL SULTANA एवं SIMMI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- SARJA,
P.O.- POLPOL,
P.S. - MEDININAGAR,
DIST.- PALAMU,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DEO KUMAR PRASAD, SAMEER RAJ (अन्य नाम ANUKALP) का पिता शपथ पत्र सं० 790, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा SAMEER RAJ (जन्म तिथि 31 जनवरी, 2007) के नाम से जाना जायेगा ।

SAMEER RAJ एवं ANUKALP दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - QR.NO.-DT-1590, DHURWA,
P.O.& P.S. - DHURWA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DHANANJAY KUMAR SINGH, ANUSHKA SINGH (अन्य नाम ANUSKHA) का पिता शपथ पत्र सं० 1578, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी ANUSHKA SINGH के नाम से जानी जायेगी ।

ANUSHKA SINGH एवं ANUSKHA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - QR. NO.- K-111, MECON COLONY,
DORANDA RANCHI,
P.S. - DORANDA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं OMM SINGH अन्य नाम OM पिता RAMJI SINGH KUSHWAHA, शपथ पत्र सं० 189, दिनांक 17 फरवरी, 2022 के अनुसार OMM SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।

OMM SINGH एवं OM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SECTOR- 8/C, QTR. NO.- 2291,
P.O.- SECTOR- 9,
P.S. - HARLA,
BOKARO STEEL CITY,
DIST.- BOKARO,
PIN - 827009
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRAPHULL MAHTO अन्य नाम PREMANAND MAHTO पिता DURGA CHARAN MAHTO, शपथ पत्र सं० 36, दिनांक 24 अगस्त, 2022 के अनुसार PRAPHULL MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा ।

PRAPHULL MAHTO एवं PREMANAND MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- LOWAHATU,
P.O.- LOWAHATU,
P.S.- SONAHATU,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RASORAJ GHOSH अन्य नाम DILIP CHANDRA GOPE पिता RAJENDRA CHANDRA GHOSH, शपथ पत्र सं० 20, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के अनुसार RASORAJ GHOSH के नाम से जाना जाऊँगा ।

RASORAJ GHOSH एवं DILIP CHANDRA GOPE दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - ANNAPURNA NIWAS,
NEAR OM RESIDENCY,
AMETHIA NAGAR, NAMKUM,
P.S.- NAMKUM,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं HEMANTA KUMAR CHATTERJEE अन्य नाम HEMANTA CHATTERJEE पिता RAM KRISHNA CHATTERJEE, शपथ पत्र सं० 06, दिनांक 1 सितम्बर, 2022 के अनुसार HEMANTA KUMAR CHATTERJEE के नाम से जाना जाऊँगा।

HEMANTA KUMAR CHATTERJEE एवं HEMANTA CHATTERJEE दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - SEC- 3/D QN. 226,
B.S. CITY,
P.O.& P.S.- SEC IV,
DIST.- BOKARO,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SANJAY KUMAR SINGH, AVINASH KUMAR SINGH (अन्य नाम SHAURYA PRATAP SINGH) का पिता शपथ पत्र सं० 167, दिनांक 12 जुलाई, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा AVINASH KUMAR SINGH (जन्म तिथि 14 जनवरी, 2010) के नाम से जाना जायेगा।

AVINASH KUMAR SINGH एवं SHAURYA PRATAP SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - H.NO.-60B,
NEHRU CO-OPERATIVE,
P.S. - SECTOR -12
DIST.- BOKARO,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRAVEEN KUMAR अन्य नाम PRAVEEN KUMAR RAM एवं PRAVEEN PUSHKAR पिता SRI RAMESHWAR RAM, शपथ पत्र सं० 767, दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के अनुसार PRAVEEN KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

PRAVEEN KUMAR, PRAVEEN KUMAR RAM एवं PRAVEEN PUSHKAR सभी एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - SAMLONG, SHANTI NAGAR,
P.O.& P.S.- NAMKUM,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ANUP KUMAR, CHITRANGADA SINGH (अन्य नाम KUMARI CHHAVI) का पिता शपथ पत्र सं० 744, दिनांक 15 जुलाई, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी CHITRANGADA SINGH के नाम से जानी जायेगी।

CHITRANGADA SINGH एवं KUMARI CHHAVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR GOVERNMENT HOSPITAL,
BANDGAON, MURHU,
BANDGAON,
DIST.- WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND.
